न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी खोरीमहुआ (गिरिडीह)

वाद सं० ५५/2017
केदार यादव वगैरह - बनाम - मथुरा महतो वगैरह
धारा 144 दं० प्र० सं० के तहत

आदेश फलक

10.8.17 अभिलेख उपस्थापित। प्रश्नगत विवादित भूमि धनवार थाना अन्तर्गत मौजा - सिरमनडीह खाता नं० 22 प्लॉट नं० 12, 48, 391, 213, 251 एवं 395 तथा मौजा - दसरोडीह के खाता नं० 63 प्लॉट नं० 191, 195, 196 एवं 199 उक्त भूमि के संदर्भ में दोनो पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया।

प्रथम पक्ष के ओर से कहना है कि प्रश्नगत भूमि का दावेदार प्रथम पक्ष भी है।

दुसरी ओर द्वितीय पक्ष का कहना है कि प्रश्नगत भूमि पर द्वितीय पक्ष पूर्व से दखलकार चले आ रहे है। उक्त संदर्भ में उनके द्वारा केवाला एवं रसीद की छाया प्रतियाँ दाखिल किया गया है।

प्रथम पक्ष के द्वारा भूमि दखल के संबंध में कोई तथ्य प्रस्तुत नही किया गया।

थाना प्रभारी धनवार के द्वारा प्रश्नगत भूमि पर दोनो पक्षों के बीच धारा 144 दं० प्र० सं० के तहत कार्यवाही नही करने का अनुशंसा किया गया है। इसलिए शांति भंग होने की सम्भावना की

P.T.O.

Scanned with CamScanner

पुष्टि नहीं होती है। इसलिए निषेधाज्ञा लगाने का कोई मतलब नहीं है। वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

हस्ताक्षरित

अनु० दण्डा०,

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
खोरीमहुआ।

Scanned with CamScanner